बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

सं०सं०–अ०सां०नि०/स्था०12–60/2018 /748 /पटना, दिनांक– 05.04.2019

प्रेषक,

वंशीधर मिश्र
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक (सांख्यिकी)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषयः– दिनांक 01.04.2019 से CFMS प्रणाली लागू होने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य में दिनांक 01.04.2019 से CFMS प्रणाली लागू है एवं राशि आवंटन के अतिरिक्त मार्च–19 से वेतन तथा सभी प्रकार के विपत्रों की निकासी इसी प्रणाली के अन्तर्गत की जानी है। आपको एवं आपके कार्यालय के लिए चिन्हित मेकर/चेकर को इससे संबंधित कई चरणों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। विदित हो की इस प्रणाली के तहत दिनांक 31.03.2019 तक आपके द्वारा अपने कार्यालय से संबंधित कई कार्य सम्पन्न कर लिया जाना था। परन्तु दिनांक 04.04.2019 को वित्त विभाग के द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई की अधिकांश कार्यालयों के द्वारा इस प्रणाली के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है जो खेद का विषय है।

अवएव आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत के तीन दिनों के अन्दर निम्न कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चि करें । इसके लिए आवश्यकता अनुसार कार्यालय अवधि के पूर्व, कार्यालय अवधि के पश्चात् एवं अवकाश के दिनों में भी उपस्थित रहकर यह कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

1. CFMS प्रणाली के अन्तर्गत अपने कार्यालय के लिए मेकर/चेकर बनाकर उन्हें (i) Bill prepration including pay Bill (ii) Employee Maintenance एवं (iii) Expenditure Section Module पर कार्य करने हेतु Map करना सुनिश्चित करें।
2. अपने कार्यालय/स्थापना में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/कर्मी तथा संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित ग्रुप के अनुसार डाटा इन्ट्री करना सुनिश्चित करें।
3. आपके कार्यालय को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से आवंटन प्राप्त करने के लिए Receave Allotment From Office में Directorate of Economics & Statistics (DES) को मैप करना सुनिश्चित करें।
4. आवटंन एवं व्यय के लिए Head of Accounnt के रूप में निम्न विपत्र कोडो को मैप करना सुनिश्चित करें।

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय		
1	35–3454022040002	CSO
2	35–3454022040001	BSS
3	35–3454021110001	CGS
राज्य योजना		
4	35–3454022040120	भा०सां०सु०परियोजना
5	35–3454022050101	समग्र सांख्यिकी
6	35–3454027890101	समग्र सांख्यिकी SC घटक
7	35–3454027960103	समग्र सांख्यिकी ST घटक
केन्द्रीय योजनागत योजना		
8	35–3454022040408	TRS
9	35–3454022040409	ICS
10	35–3454022040422	भा०सां०सु०परियोजना
11	35–3454022050405	लधु सिंचाई गणना
12	35–3454022050406	राजीव आवास योजना
13	35–3454022040401	आर्थिक गणना

Scanned by CamScanner

वित्तीय वर्ष 2019–20 में किसी भी प्रकार के वित्तीय समव्यवहार (वेतन सहित) सम्पादित करने के लिए युद्ध स्तर पर उक्त कार्य तुरन्त पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई के सामाधान एवं सहयोग हेतु संबंधित कोषागार में स्थायी रूप से एक मास्टर ट्रेनर उपलब्ध है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वित्त विभाग के पत्रांक–2622 दिनांक . 14.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अपने जिले के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी (वित्त विभाग) से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित कर इससे संबंधित किसी भी समस्या का सामाधान किया जा सकता है। साथ ही CFMS Help Desk - @e-nidhi.bihar.gov.in मेल आई.डी. पर मेल भेजकर उत्तर प्राप्त कर सकते है।

विश्वासभाजन

5/4/2019

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०12–60/2018/1748/पटना, दिनांक– 05.04.2019

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (आहरण एवं व्यय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधित के ई–मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने/कराने हेतु प्रेषित।

5/4/2019

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner